



मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण) संजय गॉंधी ताप विद्युत गृह,
म0प्र0पा0ज0क0लि0, बिरसिंहपुर, उमरिया म. प्र. पिन -484551
E-mail: setrainingsgtps.brs@gmail.com

क्रमांक - 511-0100/SE(TRG)/ITI-APPR/110

बिरसिंहपुर, दिनांक-27/07/2022

अप्रैटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत आई.टी.आई. अप्रैटिस के आवेदन हेतु संशोधित विस्तृत विज्ञापन

म. प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं/व्यवसायों (ब्रॉच/ट्रेड) में एक वर्षीय अप्रैटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन आमंत्रित किये जाते हैं :

आई.टी.आई. अप्रैटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.जा.	अ.ज.जा.	इ.डब्ल्यू.एस.	कुल योग
1	Electrical Mechanic	3	2	1	1	0	7
2	Electrician	3	2	2	2	1	10
3	Mechanic (HT,LT Equipments and cable jointing)	1	2	1	2	1	7
4	Mechanic (repair & Maintence of instruments used in electrical engineering)	2	2	1	1	1	7
5	Mechanic communication equipment maintenance	1	1	0	1	0	3
6	Mechanic repair and maintenance of electronics test equipments	1	1	1	0	0	3
7	Welder	1	1	1	2	1	6
8	Gas cutter	2	2	1	0	1	6
9	Instrument mechanic	2	2	1	2	0	7
10	Computer Operator & Programming Assistant (COPA)	3	3	1	2	1	10
11	Boiler attendant	2	1	2	1	1	7
12	Fitter	1	2	1	2	1	7
13	Machinist (Grinder)	3	2	1	1	0	7
14	Operator PLC system	1	2	1	2	1	7
15	Turner	2	2	1	1	1	7
कुल योग		28	27	16	20	10	101

नोट:

1. उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। ऑन-लाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 01/09/2022 है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मान, उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. इस वर्ष में समय-समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें :

01. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता- शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में।

आई.टी.आई. अप्रेंटिस - शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी.वी.टी./एन.सी.वी.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02. पात्रता -

- A. उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इसके पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।
 - B. प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची(मेरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।
03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर सं.गां.ता.वि.गृ., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।
04. ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
05. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। सिर्फ प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी। आवास सिर्फ प्रशिक्षणार्थियों को साझा आधार पर उपलब्ध होंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को आवंटित होंगे इस शर्त पर की वे परिवार के साथ नहीं रह पायेंगे।
06. आवेदक की भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय-समय पर अपना ई-मेल आई.डी. तथा कम्पनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in> भी देखते रहें।
07. वरीयता प्राप्त आवेदकों को आमंत्रण(ऑफर लेटर) अप्रेंटिसशिप पोर्टल <https://apprenticeshipindia.gov.in> पर उनके अप्रेंटिस प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ई-मेल आई.डी. पर ही किया जावेगा। अतः आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहें तथा अपना ई-मेल आई.डी. आवेदन करने से पहले बना ले जो कम से कम एक साल के लिए वैध हो।
08. अनु.जाति/अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।
09. किसी भी प्रशिक्षु के चयन /निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये सं.गां.ता.वि.गृ., म.प्र.पॉ.जं.कं.लिमि. बिरसिंहपुर अपने पास सुरक्षित रहेगा।
10. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा। जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनुपपुर जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
12. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, 500रु के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराये जाना आवश्यक होगा।
13. आवेदन से सम्बंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> पर उपलब्ध है।
14. आरक्षण एवं आयु में छूट :
- A. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (संशोधित) 2017 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।
 - B. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है।
 - C. सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि 01/07/2022 के आधार पर की जावेगी।
 - D. सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/नॉन-क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा के 05 वर्ष की एवं दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट रहेगी।

E. शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

15. चयन प्रक्रिया :

- A. आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी। तत्पश्चात्, सं.गां.ता.वि.गु., म.प्र.पॉ.ज.कं.लिमि बिरसिंहपुर द्वारा हुए आवेदनों में आई.टी.आई. अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई. में प्राप्त सीजीपीए(सेमेस्टर के औसत) अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता कम(मेरिट लिस्ट) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।
- B. उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है। एक से अधिक ट्रेड में आवेदन करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- C. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

16. स्टाईपेण्ड :

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:

क्र.	आर्हता	मासिक स्टाईपेण्ड(रु में)
1	एक वर्षीय आई.टी.आई. अप्रेंटिस	7700/-
2	दो वर्षीय आई.टी.आई. अप्रेंटिस	8050/-

नोट:- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/ लाभ की पात्रता नहीं होगी।

17. चिकित्सा / स्वास्थ्य मानक :

- A. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा।
- B. दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।
- C. दिव्यांगजन हेतु आरक्षण सिर्फ "Computer Operator & Programming Assistant (COPA)" ट्रेड में शासकीय दिशानिर्देशों के अनुसार सभी वर्गों में क्षैतिज आधार पर लागू होगा।

18. आवेदन कैसे करें:

आई.टी.आई. उत्तीर्ण उम्मीदवार शासन की वेबसाइट <https://apprenticeshipindia.gov.in> के माध्यम से दिनांक 01/09/2022 की मध्य रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाईन पदद्यति से भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।


आई.टी.आई. उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया - आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं कराया है तो निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं:

- सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट <https://apprenticeshipindia.gov.in> पर जायें।
- आपको <https://apprenticeshipindia.gov.in/register/Candidate> link दिखाई देगी उस पर Click करने से नया पेज खुल जायेगा।
- Toolbar में Register बटन पर Click करें। "Register As Candidate" विकल्प का चयन करें।
- व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) Section में आधार नम्बर, वर्ग (General/OBC/SC/ST) नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि की प्रविष्टि करें।
- Contact Details section में अपना पूरा पता, मोबाइल नम्बर एवं E-mail ID एवं पासवर्ड का उपयोग करें।

- **Qualification Section** में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्टि कर संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करें।
- **Preference Section** में शिक्षता प्रशिक्षण के लिए आप अपने sector/व्यवसाय (Trade)की प्राथमिकता का चयन करें।
- चौथे चरण में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण -पत्र व स्कैन किये हुए हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर Click करें।
- अन्तिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यू प्राप्त होगा । Editबटन पर Click करके जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है सभी जानकारियाँ सही होने पर Confirm बटन पर Click करके पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें।
- **Candidate Registration** की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आपके द्वारा Contact Details में दिये गये E-Mail/Mobile No. एवं पासवर्ड से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार पंजीकरण के उपरांत "Establishment Search" में जाकर SANJAY GANDHI THERMAL POWER STATION BIRSINGHPUR का विकल्प चुन कर संस्थान के विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियों में योग्यता अनुसार आवेदन करें।

19. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें:

- A. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ सही है।
- B. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार निर्धारित आर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उम्मीदवारी को निस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
- C. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- D. यदि उम्मीदवार अपने ऑन-लाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Edit my Profile में जाकर परिवर्तन कर सकते हैं।
- E. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षता अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।
- F. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.जं.कं.लि. बिरसिंहपुर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- G. शिक्षता अवधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- H. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।
- I. सं.गां.ता.वि.गू., म.प्र.पां.जं.कं.लि., बिरसिंहपुर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/ सीमित करने/ बढ़ाने का अधिकार होगा।
- J. चयन न होने की स्थिति, में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
- K. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, शिक्षता अधिनियम 1961 की कडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी रोजगार के लिए नहीं । प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पां.जं.कं.लि., बिरसिंहपुर किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
- L. शिक्षता अधिनियम 1961 की कडिका 2 (1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण- पत्र प्रदान किया जावेगा।


 अधी.अभि.(प्रशिक्षण)
 सं.गां.ता.वि.गू., म.प्र.पां.जं.कं.लि.
 बिरसिंहपुर।